

(श्रीमान उददीन)

(अपर मुख्य सचिव दवारा अनुमोदित)

- पंचायत राज दवारा जारी की जायेगी।
3. निर्माण कार्य कि 50 प्रतिशत राशि संचालित निर्माण ऐजेंसी को प्रथम किश्त के रूप में संचालनालय दवारा प्रदाय की जा रही है। दलितिय किस्त की शेष 50 प्रतिशत राशि, 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, संचालित जिला पंचायतों के माध्यम से एकजोड़ें मांग प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालनालय संचालनालय को तत्काल दी जावे।
 - 2.10 यदि सामुदायिक भवन किसी अन्य योजना में पूर्व से स्वीकृत हो तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रदाय की जाने वाली राशि पंचायत राज संचालनालय को वापस की जाए एवं डेपॉजिट संचालना
 - 2.9 भवन निर्माण जनवरी 2019 तक पूर्ण कराना होगा।
 - 2.8 भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
 - 2.7 स्वीकृति आदेश एवं राशि आम पंचायत को जारी होने के उपरान्त सामुदायिक भवन के स्थान में किसी पंचायत में दिया जाना होगा।
 - 2.6 स्वीकृत भवन हेतु शासकीय भूमि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद निर्माण का परपत्रद्वारा मानक मूल्यांकन प्रमुख अभियंता के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.08.2017 अनुसार मान्य होगा।
 - 2.5 भवन की स्वीकृत लागत का अधिकतम एक प्रतिशत जिला पंचायत की लिखित से व्यय किया जा सकता है। भवन की व्यवस्था कर सकते हैं। इस हेतु प्रति भवन, प्रति निर्माण परिश्रमिक न्यून कर प्रति भवन की स्वीकृत लागत का अधिकतम एक प्रतिशत जिला पंचायत की लिखित से व्यय किया जा
 - 2.4 सर्वोत्तम कार्यपालन यंत्री अथवा वरिष्ठ स्तर के अभियंता से आवश्यकता अनुसार तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मदद की व्यवस्था कर सकते हैं। इस हेतु प्रति भवन, प्रति निर्माण परिश्रमिक न्यून कर प्रति भवन की स्वीकृत लागत का अधिकतम एक प्रतिशत जिला पंचायत की लिखित से व्यय किया जा
 - 2.3 प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में बाउंडेडवाल की मानक लागत रुपये 3,550/- प्रति रजिंता शीटर निर्धारित की है जिसमें शेट की लागत शामिल है। बाउंडेडवाल का निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं है।
 - 2.2 निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के पत्र क्र. 3773, दि. 14.08.2017 दवारा निर्धारित तकनीकी मापदण्ड एवं अवयवों के अनुसार करना होगा। प्रमुख अभियंता के इस पत्र में तकनीकी मापदण्ड लिखत कर दिए जाने से पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं है।
 - 2.1 निर्माण एजेंसी आम पंचायत होगी।

2. शर्त :-

क	जिला	जनपद	ग्राम पंचायत	ग्राम/खान की नाम	श्रेणी	प्रशासकीय स्वीकृति कूल लागत (राशि कयल स्वीकृत राशि)	प्रथम की बाउंडेडवाल	प्रथम की बाउंडेडवाल	कयल स्वीकृत राशि
1	आगर-मालवा	बड़ोद	डावला पिपली	मार्जुखड़ी	टाइप-1	10.00	2.00	12.00	9
2	आगर-मालवा	आगर	राधोगढ़	राधोगढ़	टाइप-1	10.00	2.00	12.00	
3	आगर-मालवा	आगर	जमुनिया आगर	पुरसाहबनगर	टाइप-1	10.00	2.00	12.00	

हेतु राशि रुपये 36.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:-
 का निर्माण, योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शर्क वर्गों के विरुद्ध अर्जान मद से निर्माण कार्य करने
 एतद दवारा आगर मालवा जिले के ग्रामी में उनके समग्र दशरीय गेरे श्रेणी के सामुदायिक भवन

///आदेश///

भोपाल, दिनांक 12/09/2018

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/प.रा./आर-2-66/2018/ 3598

प्रतिनिधि:-

1- संभागीय आयुक्त उच्चतम संभाल म.प्र की ओर सूचनाएं।

2. कलेक्टर, जिला आगरा आगरा की ओर सूचनाएं।

3. मुख्य कार्यालय अधिकाारी, जिला पंचायत, आगरा आगरा की ओर पालनाएं।

4. स्यूक्त संघालक (दिल्ल) पंचायत राज संघालनालय को निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाल्प शूक्त वसूली के विरुद्ध अनुदान मद में उपलब्ध राशि से संबंधित निर्माण एवरी के खातें में अंतरित कर विलीय स्वीकृति जारी करें एवं राशि अंतरण की सूचना संबंधित निर्माण एवरी के खातें में अंतरित कर विलीय स्वीकृति जारी करें एवं राशि अंतरण की सूचना निर्माण अनुभाग को दें।

5. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री आमीण यंत्रिकी सेवा की ओर जियो टैलिंग के साथ मानिटरिंग हेतु पालनाएं।

6. ऑरसडी मान. मंत्रीजी, पंचायत एवं आमीण विकास विभाग।

7. मुख्य कार्यपालन अधिकाारी, जन्पद पंचायत, बडौद एवं आगर की ओर अधीन कर लेख है कि स्वीकृति आदेश का तत्काल क्रियान्वयन करवें तथा संबंधित आम पंचायत को अवगत करावें।

8. संबंधित सरपंच आम पंचायत को पालनाएं।

9. जैनर विभागीय वेबसाइट/पंचायिका।

पंचालक
पंचायत राज संघालनालय (म.प्र.)